

	<p>बशर्ते कि जहाँ शेष अवधि के लिए विघटित द्वीप परिषद को छह माह से कम अवधि तक कार्य करना होता है, तो द्वीप परिषद को गठित करने के लिए इस उप-धारा के अंतर्गत कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा ।</p> <p>(3) किसी द्वीप परिषद के विघटित होने पर इसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व गठित द्वीप परिषद को केवल शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगा जिसके लिए उप-धारा (1) के अधीन विघटित द्वीप परिषद को करना होता था, यदि वह विघटित नहीं हो गया होता ।</p>	
	<p>61. (1) द्वीप परिषद की प्रथम बैठक के तुरंत बाद इसके प्रत्येक सदस्य प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेंगे ।</p> <p>(2) द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य किसी बैठक की कार्यवाही में बोट नहीं दे सकेगा अथवा भाग नहीं ले सकेगा और न ही उसे द्वीप परिषद द्वारा गठित किसी समिति का सदस्य बनाया जाएगा, यदि उसने इसकी शपथ न ली हो ।</p>	पद की शपथ
	<p>62. चीफ कैप्टेन उपायुक्त को लिखित सूचना देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है लेकिन जब तक इसे उपायुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, यह प्रभावी नहीं माना जाएगा ।</p>	पद से त्यागपत्र
	<p>63. (1) 15 दिनों की नोटिस देने के पश्चात् द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य चीफ कैप्टेन के विरुद्ध “अविश्वास का प्रस्ताव” ला सकता है।</p> <p>(2) अविश्वास प्रस्ताव लाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, इस पर विचार विमर्श करने तथा निर्णय लेने हेतु द्वीप परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी ।</p> <p>(3) यदि द्वीप परिषद की कुल सदस्यता में से अधिकतर सदस्यों द्वारा “अविश्वास प्रस्ताव” लाया गया हो, तो द्वीप परिषद उस द्वीप के सभी गाँवों की साधारण निकायों से चीफ कैप्टेन को पद से हटाने के लिए सिफारिश करेगा ।</p> <p>(4) उप-धारा-3, के अंतर्गत की गई सिफारिशों के प्राप्त होने पर सभी गाँवों की साधारण निकायों के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी । जिसके लिए ग्राम साधारण निकायों के कुल सदस्यों का <math>1/5</math> संख्या होने से बैठक के लिए कोरम पूरा होगा और सिफारिशों को उपस्थित झोलाई सदस्यों द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी और मतदान किया जाएगा ।</p> <p>(5) उप-धारा-4 के अंतर्गत सिफारिश का अनुमोदन प्राप्त होने पर चीफ कैप्टेन सिफारिश अनुमोदित होने की तिथि से अपना पदभार छोड़ देगा ।</p>	चीफ कैप्टेन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव